



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 24]

नई दिल्ली, जून 9—जून 15, 2019, शनिवार/ज्येष्ठ 19—ज्येष्ठ 25, 1941

No. 24]

NEW DELHI, JUNE 9—JUNE 15, 2019, SATURDAY/JYAISTHA 19—JYAISTHA—25, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 3 मई, 2019

का.आ. 941.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (i) के उपबंध भारतीय स्टेट बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक इसका संबंध भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष, श्री रजनीश कुमार को दिनांक 6.10.2020 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, ईसीजीसी लिमिटेड के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के पद पर नामित करने से है।

[फा. सं. 13/23/2016-बीओ-I]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

New Delhi, the 3rd May, 2019

S.O. 941.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of sub-clause (i) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to State Bank of

India in relation to the nomination of Shri Rajnish Kumar, Chairman, State Bank of India on the Board of ECGC Limited as an independent Director, for a period up to 6.10.2020 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 13/23/2016-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 9 मई, 2019

का.आ. 942.—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप, डॉ. नचिकेत मधुसूदन मोर ने दिनांक 13.10.2018 से भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड से सदस्य के रूप में अपना कार्य-भार त्याग दिया है।

[फा. सं. 1/4/2012-बीओ-1]

संजय कुमार मिश्र, अवर सचिव

New Delhi, the 9th May, 2019

S.O. 942.—Consequent upon acceptance of resignation by the competent authority, Dr Nachiket Madhusudan Mor has relinquished his office as a member from the Eastern Area Local Board of the Reserve Bank of India, with effect from 13.10.2018.

[F. No. 1/4/2012-BO-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Under Secy.